-

<u>न्यायालय सिविल जज(सी०डि०), आजमगढ़।</u>

बृजेश आदि बनाम श्यामकुमारी आदि

<u>दिनाँकः–०९.०८.२०२३</u>

पत्रावली पेश हुई।

पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली से दृष्टिगत है कि वादी द्वारा वाद आराजी सं०–३३८ हे०, रकबा ०.२७६० हे० स्थित ग्राम रघुनाथपुर, परगना मुहम्मदाबाद, तहसील सदर, जनपद आजमगढ़, जिसे नक्शा वादपत्र में बहरूफ ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच से प्रदर्शित किया गया है, के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा हेतु योजित किया गया है। उक्त भूमि को भूमिधरी की होना कथित किया गया है, जिसके संबंध में खतौनी कागज सं०–११ग२ दाखिल की गयी है। विवादित आराजी आराजी सं०–३३८ हे०, रकबा ०.२७६० श्रेणी प्रथम की भूमि के रूप में संक्रमणीय भूमिधरी अंकित है, जिसकी माल गुजारी रूपया १२.६६/– अंकित है। जिससे उक्त भूमि लगान/मालगुजारी योग्य भूमि के रूप में होना दृष्टिगत है, जिसकी मालियत ६ लाख रूपये अंकित की गई है, जबकि उक्त खतौनी से माल गुजारी की संकर्मणीय भूमिधरी होना, दृष्टिगत है एवं वादपत्र में विवादित भूमि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच काश्त फसल होना दृष्टिगत् है, जिसपर मालगुजारी १२.६६ लगान की होना दृष्टिगत है, जिससे प्रस्तुत बाद का मूल्यांकन उक्त मालगुजारी के तीस गुना होता है, जिससे वाद का मूल्याकन निश्चित रूप से ५ लाख रूपये से कम है।

अतः उक्त वाद सिविज जज (जू०डि०) न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दृष्टिगत् है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद का क्षेत्राधिकार सिविज जज (जू०डि०), आजमगढ़ में निहित होने के कारण नियमानुसार वापस किया जाए।

सिविल जज (सी०डि०),
आजमगढ़।